

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सेमफोर्ड स्कूल,
बसही, कंतित
नगर पलिका, मीरजापुर

पत्रांक-मान्यता / ५२-५

/ 2016-17 / दिनांक ०३-०४-२०१७


विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवतीपत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मीरजापुर सेमफोर्ड स्कूल, बसही, कंतित नगर पलिका, मीरजापुर को दिनांक ०३-५-२०१७ से दिनांक ०२-५-२०२० तक 3 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम के नर्सरी से कक्षा-८ तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-८ के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपांबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपांबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के न्यूनतम 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रदेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालाकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।


Shailesh Kumar Pandey

Principal

Shemford School, Mirzapur-U.P.

Sch. No. 71114

क्रमशः.....2


Manager
Shemford School
Mirzapur

(2)

- (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःष्कृता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7— विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8— विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल— 68000 क्वार्टर

कुल निर्मित क्षेत्र— 13800 क्वार्टर

क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल—

कक्षाओं की संख्या— 07+04

प्राध्यापक—सह कार्यालय—सह भण्डार के लिए कक्ष—03

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय—03 बालक / 03 बालिका

पेयजल सुविधा — है।

मिड-डे—मील पकाने के लिए रसोई— 01 कक्ष

बाधारहित पहुँच— हाँ

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकाय की उपलब्धता— उपलब्ध


9— विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10— विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11— विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12— स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13— विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।


Shailesh Kumar Pandey

Principal

Shemford School, Mirzapur-U.P.
Sch. No.71114


क्रमशः3


Manager
Shemford School
Mirzapur

(3)

- 14— आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक E/NUPS/22/17 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15— विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाए।
- 16— सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
- 17— संलग्न उपावंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय


(मनभरन राम राजभर)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर


पृ०सं० मान्यता / 2016-17 / तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० लखनऊ।
2. सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक पंचम मण्डल वाराणसी/विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग/ जिला विकलांग अधिकारी मीरजापुर।
5. वरिष्ठ खण्ड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय/नगर शिक्षा अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी) मीरजापुर।
6. कार्यालय प्रति।


(मनभरन राम राजभर)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर


Shailesh Kumar Pandey
Principal
Shemford School, Mirzapur-U.P.
Sch. No.71114


Manager
Shemford School
Mirzapur